


बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारियों को कतिपय जिलों में सर्वाधिक रिक्तियों को देखते हुए कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित जिलों में स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है ।


1	2	3	4	5
क्र० सं०	नाम	गृह जिला	पदस्थापित जिला	स्थानांतरण का जिला
1.	श्री अचल चन्द्र मिश्रा	दरभंगा	मधुबनी	गोपालगंज
2.	श्री अजय कुमार	खगडिया	पटना	दरभंगा
3.	श्री अमित कुमार	मुंगेर	कटिहार	नालन्दा
4.	श्री अमित कुमार उपाध्याय	बक्सर	भोजपुर	प० चम्पारण
5.	श्री अमरेन्द्र कुमार	रोहतास	बक्सर	पूर्णियाँ
6.	श्री अरविन्द कुमार	सारण	वैशाली	बेगुसराय
7.	श्री इन्द्रमोहन कुमार	पटना	कटिहार	मुजफ्फरपुर
8.	श्री कुमार शैलेन्द्र	जहानाबाद	औरंगाबाद	सिवान
9.	श्री जितेन्द्र कुमार	उ.प.(बिजनौर)	बक्सर	सीतामढी
10.	श्री जितेशचन्द्र कुमार	गया	कटिहार	गोपालगंज
11.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	मुंगेर	कटिहार	दरभंगा
12.	श्री धिरज कुमार सिन्हा	पटना	गया	नालन्दा
13.	श्री नीरज कुमार	नालन्दा	भोजपुर	प० चम्पारण
14.	श्री नीलमणि	गया	भोजपुर	पूर्णियाँ
15.	श्री पंकज कुमार	लखीसराय	बांका	बेगुसराय
16.	श्री पंकज कुमार पाल	गया	जहानाबाद	मुजफ्फरपुर



17.	श्री प्रांजल गुप्ता	कैमुर	रोहतास	सिवान
18.	श्री प्रभात कुमार झा	भागलपुर	लखीसराय	सीतामढी
19.	श्री प्रेम कुमार लाल	पटना	वैशाली	दरभंगा
20.	मो0 फुरकान अंसारी	सहरसा	जहानाबाद	नालन्दा
21.	श्रीमती रश्मि रंजन	गया	पटना	प0 चम्पारण
22.	श्री राजीव कुमार	भागलपुर	बांका	बेगुसराय
23.	श्री विजय रंजन परमार	गया	औरंगाबाद	सिवान
24.	श्री शशिकांत शास्त्री	सारण	पटना	सीतामढी
25.	श्री शिवनारायण लाल	पटना	रोहतास	नालन्दा
26.	श्री संजय प्रकाश सिंह	बक्सर	कटिहार	बेगुसराय
27.	श्री संतोष कुमार	जहानाबाद	पटना	सिवान
28.	श्री सुजीत कुमार सिंह	पटना	रोहतास	नालन्दा
29.	श्री सुरेन्द्र पासवान	कैमुर	पटना	बेगुसराय


जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारियों को विरमित करते समय निम्नलिखित प्रक्रियानुसार प्रभार हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाय:-

- i. कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित सभी पंजियों, योजना अभिलेखों, रोकड़ बही, बैंक पासबुक एवं अन्य सभी संबद्ध अभिलेखों की सूची बनवाना, अद्यतन करवाना एवं तदुपरांत विधिवत प्रभार हस्तांतरण करवाना ।
 - ii. स्थानांतरित कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिस्थानी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित उत्तराधिकार टिप्पणी तैयार कराना ।
 - iii. गैर बकाया प्रमाण पत्र निर्गत कराना ।
 - iv. संविदा पर हुई नियुक्ति से संबंधित सभी कागजातों की मूल प्रति संधारित रखना तथा सत्यापित प्रति नए जिले को अभिलेख हेतु उपलब्ध कराना ।
2. नव पदस्थापित जिलों में प्रभार ग्रहण करने की व्यवस्था निम्नवत होगी:-
- i. पूर्व पदस्थापित जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्गत विरमन आदेश तथा प्रतिहस्ताक्षरित प्रभार हस्तांतरण प्रतिवेदन ।
 - ii. नव पदस्थापित जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में पूर्व निर्धारित विहित प्रपत्र में अनुबंध करना ।



3. स्थानांतरित कार्यक्रम पदाधिकारी विहित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर नव पदस्थापित जिले में योगदान सुनिश्चित करेंगे। जो कार्यक्रम पदाधिकारी किसी भी कारण से नव पदस्थापन जिले में योगदान नहीं करेंगे, उनका संविदा आधारित नियोजन स्वतः रद्द माना जाएगा।

प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।



02.06.16
(सी०पी० खण्डुजा)
निदेशक (सा०वा)

जापांक 273963
गा०वि०९(ख)BRDS- 72/2013

पटना, दिनांक 03.06.16

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक / उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक / सभी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों के पदस्थापन की सूचना आज ही अपने स्तर से उपलब्ध कराना एवं उपर वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन कराते हुए निर्धारित तिथि के पूर्व आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करायेंगे।


02.06.16
निदेशक (सा०वा)

जापांक 273963
गा०वि०९(ख)BRDS- 72/2013

पटना, दिनांक 03.06.16

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


02.06.16
निदेशक (सा०वा)